

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं० - एम० 10/2023

वाद की प्रकृति :- धारा - 107, द०प्र०सं०

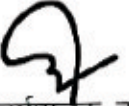
झारखण्ड सरकार द्वारा थाना प्रभारी, जारी -बनाम- सहबाज खान वगै०

आ दे श

पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, चैनपुर थाना के जारी थाना अप्राथमिकी सं० - 09/2023, दिनांक - 22.07.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा - 107 के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष सहबाज खान, आजाद आलम, रूस्तम आलम, महबूत खान, ताहीन अंसारी, आमिर खान उर्फ कालू, आमिर खान, सरवर खान, सभी थाना- जारी, जिला- गुमला को मुहर्रम पर्व 2023 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में, संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए।

प्रश्नगत वाद में मुहर्रम पर्व 2023 की समाप्ति हो चुकी है। थाना प्रभारी द्वारा शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना नहीं दी गई है। इस वाद कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)